Chapter-1 भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 UNIT-I

(1) अनुबन्ध 2h

धारा 2 (ह)

समझौता / ठहराव

विधि द्वारा प्रवर्तनीय → Court Case

प्रस्ताव 2(a)

स्वीकृति (2b)

प्रतिफल

अनुबन्ध = ठहराव + विधि द्वारा प्रवर्तनीयता

समझौता = [प्रस्ताव + स्वीकृति] + प्रतिफल
(वचन)

वचन = प्रस्ताव + स्वीकृति

(2) वैध अनुबन्ध के आवश्यक तत्व → Refer Side from icai

(3) ठहराव व अनुबन्ध में अंतर → Refer Side from icai

(4) अनुबन्ध के प्रकार → Refer Side

(4.) अनुबंध के प्रकार ⇒

(A) वैधता के आधार पर –

- **वैध अनुबन्ध**
  - विधि द्वारा प्रवर्तनीय
  - वाद प्रस्तुत
- **व्यर्थ ठहराव**
  - प्रारम्भ से शून्य
  - अवयस्क के साथ ठहराव
- **व्यर्थ अनुबंध**
  - प्रारम्भ में वैध
  - कानून व परिस्थिति में बदलाव के कारण व्यर्थ
- **व्यर्थनीय अनुबंध**
  - पीड़ित पक्षकार
    - निरस्त → व्यर्थ
    - जारी → वैध
  - बिना स्वतन्त्र सहमति के ठहराव
- **अवैध ठहराव**
  - कानून द्वारा वर्जित
- **अप्रवर्तनीय अनुबन्ध**
  - तकनीकी दोष
  - कालबाधित ऋण

(B) निष्पादन के आधार पर

- **निष्पादित**
  - कार्य पूरा हो चुका हो
- **निष्पादनीय** ← भविष्य
  - [illegible] या अधिकार का निर्वाह
  - **एकपक्षीय** → एक पक्षकार द्वारा वचन दे दिया जाता है और दूसरे पक्षकार का वचन बाकी हो
  - **द्विपक्षीय** → २ पक्षकार दायित्व व वचन बाकी हो

(c) अनुबंध की रचना के आधार पर =>

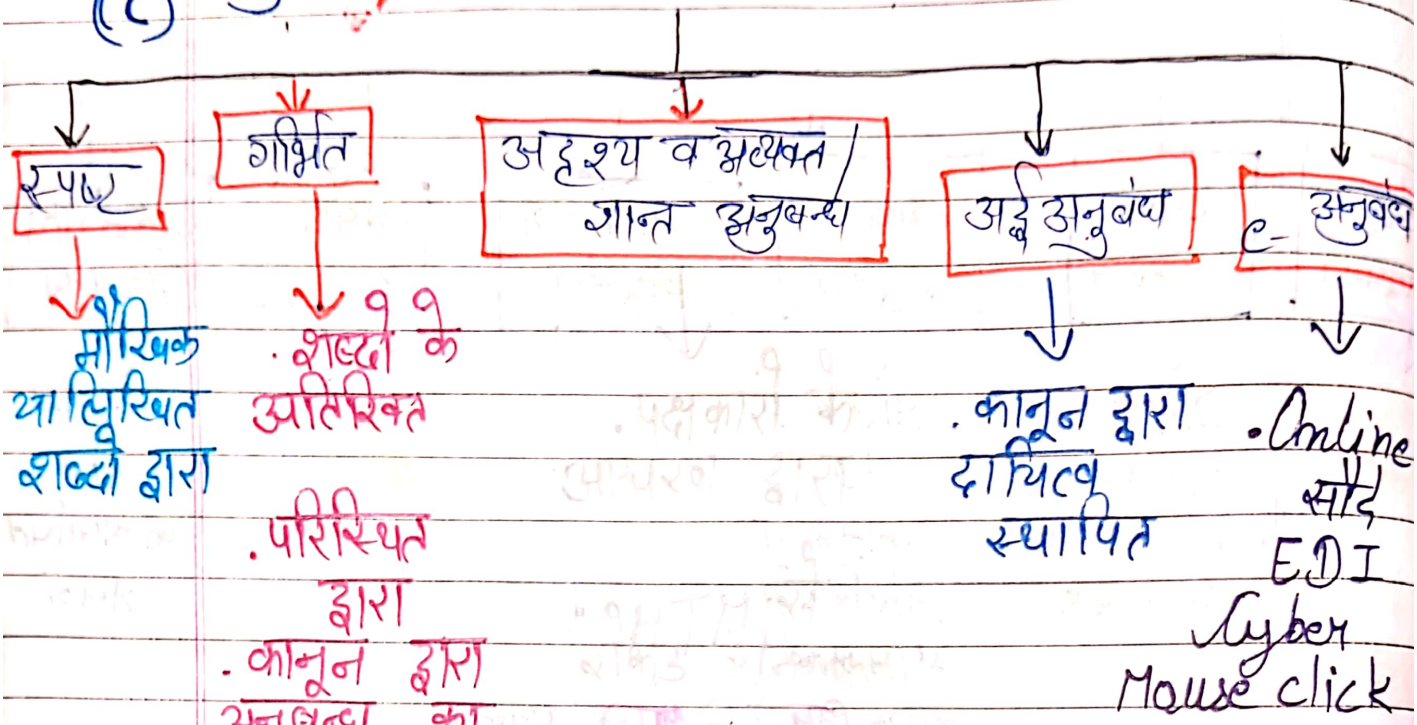

- स्पष्ट
  - मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा
- गर्भित
  - शब्दों के अतिरिक्त
  - परिस्थित द्वारा
  - कानून द्वारा अनुबन्ध का बोध
- अदृश्य व अव्यक्त / शान्त अनुबन्ध
- अर्द्ध अनुबंध
  - कानून द्वारा दायित्व स्थापित
- e- अनुबंध
  - Online सौदे
  - EDI
  - Cyber
  - Mouse click

प्रस्ताव धारा 2 (a)

परिभाषा :→ जब एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष कुछ करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा जताता है इस इरादे से कि दूसरा व्यक्ति अपनी सहमति दे दे तो यह कहा जाता है कि उसने एक प्रस्ताव दिया है।

सकारात्मक / नकारात्मक

वैध प्रस्ताव के अनिवार्य तत्व :-

(1) प्रस्ताव से वैधानिक सम्बन्धों का उदय होना चाहिए।

(2) प्रस्ताव निश्चित, पक्का व स्पष्ट होना चाहिए।

(3) इसका प्रस्तावग्रहिता को संवहन होना चाहिए।

example बिना (जानकारी) के प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता।

PAGE NO.:
DATE: / /

लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त

(4.) इरादा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने का होना चाहिए।

(5.) यह सशर्त होना चाहिए।

(6.) प्रस्ताव में ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसे पूरा न करना स्वीकृति के समतुल्य माना जायेगा।

(7.) प्रस्ताव विशिष्ठ अथवा सामान्य हो सकता है।

(8.) प्रस्ताव मात्र भावना की अभिव्यक्ति व प्रस्ताव के लिए आमन्त्रण से भिन्न है।

(9.) प्रस्ताव स्पष्ट या गर्भित हो सकता है।

(10.) मूल्य के लिए कथन प्रस्ताव नहीं होता।

प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण के मध्य अन्तर :- Refer slide

Practi MCC Book अम्बु त्याल Mrs Lovely

Case Law → . Harvie V. Facie

Harris V. Nickerson

New Book chart

प्रस्ताव के प्रकार

- कैसे किया जाता है
  - (a) स्पष्ट - शब्दों द्वारा मौखिक या लिखित
- किसको किया जाता है
  - (a) सामान्य - आम जनता को दिया गया प्रस्ताव
- अन्य
  - प्रति प्रस्ताव
  - भुलावे या अनजाने में समान प्रस्ताव का विनिमय

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

गर्भित → आचरण द्वारा	या विशिष्ट → विशेष व्यक्ति या समूहों को दिया जाना प्रस्ताव → बॉल्टन बनाम जोन्स	विपरीत प्रस्ताव → सशर्त स्वीकृति मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधन या बदलाव

स्थायी / मुक्त / सतत प्रस्ताव → कुछ समय के लिए स्वीकृति हेतु खुला प्रस्ताव
निविदा

स्वीकृति धारा 2(b)

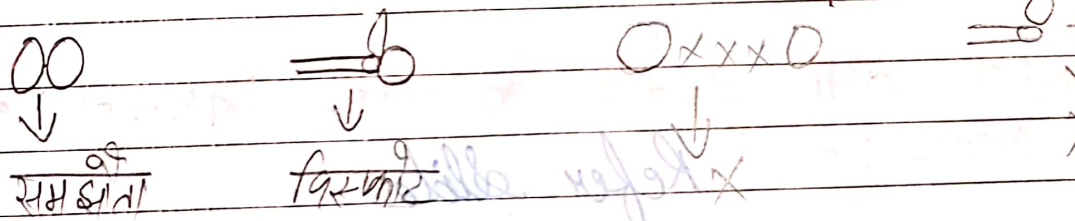

"जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है अपनी सहमति जताता है। तो प्रस्ताव को स्वीकृति माना जाता है।" प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। तो वह वचन बन जाता है।

विलियम एनसन ⇒ "स्वीकृति प्रस्ताव के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद के ढेर के लिए जलती हुई माचिस की तिल्ली"

Q) आया हुआ है।

PAGE NO.:
DATE: / /

☆ वैध स्वीकृति के वैधानिक नियम / आवश्यक तत्व ⇒

① स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसके समक्ष प्रस्ताव दिया जाता है।
↓
रखा जाता है।

सामान्य प्रस्ताव → जनता → शर्त पूरा कर दे

2.☆ स्वीकृति पूर्ण तथा शर्तरहित होनी चाहिए।

3.☆ स्वीकृति का संवहन होना चाहिए।
↓
- सशर्त स्वीकृति स्वीकृति नहीं होती (विपरीत प्रस्ताव)
- बिना जानकारी के प्रस्ताव की स्वीकृति स्वीकृति नहीं है (प्रति प्रस्ताव)

Case law → Brogden V. Metropolitan Railway Co.

B → Rey Co.

एक ठहराव की प्रतिलिपि (प्रबन्धक) को दराज में रखना
स्वीकृति की संवहन नहीं है → अनुबन्ध नहीं।

Q Imp — Neale V. Merret — A 280 Pound → B, 80 Pound → 4 Installment — मर्यादा स्वीकृति

Imp — Union of India V. Bahulal — A → cheque 1 lac → B (500000)

Bhagwandas V. Girdharilal — 12 lac
प्रति प्रस्ताव ⇒ स्वीकृति वैध नहीं

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

4.) स्वीकृति निर्धारित विधि से होनी चाहिए।
E-Mail fax

5.) समय →
निर्धारित समय सीमा → ✓
✗ → उचित समय

Imp. Practical 6.) ★ मात्र चुप्पी स्वीकृति नहीं होती → Refer Slide ICAI

Felthouse VS. Bindley

7.) आचरण / गर्भित स्वीकृति द्वारा स्वीकृति

संवहन

प्रस्ताव का संवहन :→ प्रस्ताव का संवहन तब पूरा होता है जब वह प्रस्तावग्राहिता की जानकारी में आ जाये।

Case : लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त

स्वीकृति का संवहन :

1.) प्रस्तावक के विरुद्ध → जब इसको प्रेषण के मार्ग में डाल दिया जाता है ताकि स्वीकारक की ताकत से बाहर हो जाये कि उसको वापिस ले सके।

2.) स्वीकारक के विरुद्ध ⇒ जब यह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाये। (इच्छा करने) अथवा (ना करने के लिए)

PAGE NO. :
DATE : / /

स्वीकृति का तरीका

- किसी गतिविधि द्वारा
- भूल द्वारा
- आचरण द्वारा

e.g.

1st मार्च → A- प्रस्ताव → पत्र Post

A → पत्र → B
प्रस्ताव
20 March

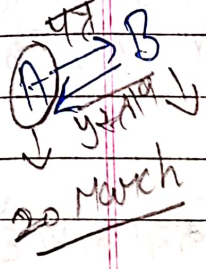

10 March → B पत्र प्राप्त

20 March → B स्वीकृति पत्र → Post

22 March → B → स्वीकृति खंडन पत्र → Speed Post

28 March → A " " → प्राप्त

30 March → A " " प्राप्त

B → 22 March
A → 28 Mar.

① खंडन का प्रस्ताव → 10 March

② स्वीकृति का खंडन →

- A के लिए → 20 March
- B के लिए → 30 March

Practical खंडन

① प्रस्ताव का खंडन :- स्वीकृति से पहले पहले प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। e.g. हथौड़ा मारने से पहले बोली को वापस लिया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

2. **स्वीकृति का खंडन :→** स्वीकृति की सूचना का पता प्रस्तावक को प्राप्त होने से पूर्व स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है।

A → B 1st March

खंडन का संवहन

A खंडन पत्र ← 2 March

1. **उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसा करता है →** जब प्रेषण के मार्ग में डाल दिया जाता है जिससे विखण्डन करने वाले की शक्तियों से बाहर हो जाए।

3 March → B प्राप्त

2. **उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए ऐसा किया गया है-** जब उसकी जानकारी में आ जाये।

* विखंडन के तरीके :-

1. विखंडन के नोटिस द्वारा
2. समय बितने पर (June → Nov.)
3. किसी पूर्व शर्त को पूरा ना करना
4. मृत्यु या पागलपन द्वारा
5. प्रतिप्रस्ताव रखकर
6. निर्धारित तरीके से प्रस्ताव की स्वीकृति ना करके
7. तदोपरान्त अवैधानिक के कारण
   ↓
   कानून में परिवर्तन

50 → 10

Contract Unit-2 प्रतिफल

PAGE NO. :
DATE : / /

⇒ Quid pro quo
बदले में कुछ → प्रतिफल

⇒ Misa V. Currie

⇒ २(d) प्रतिफल - परिभाषा

परिभाषा ☆ यदि वचन दाता की इच्छा पर, वचन गृहिता अथवा अन्य व्यक्ति

- कुछ कार्य कर चुका है अथवा विरत रह चुका है।
- कुछ कार्य कर रहा है अथवा विरत रह रहा है।
- कुछ कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है,

तो वह कार्य करना अथवा नहीं करना अथवा वचन देना प्रतिफल कहलाता है।

प्रतिफल के वैधानिक नियम

1.) प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए।

- स्वैच्छिक नहीं
- तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं

Case: दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव

Gift

2.) प्रतिफल वचनग्रहिता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है।

प्रतिफल अजनबी द्वारा दिया जा सकता है।

Case चिनईया बनाम रमैया (1882)

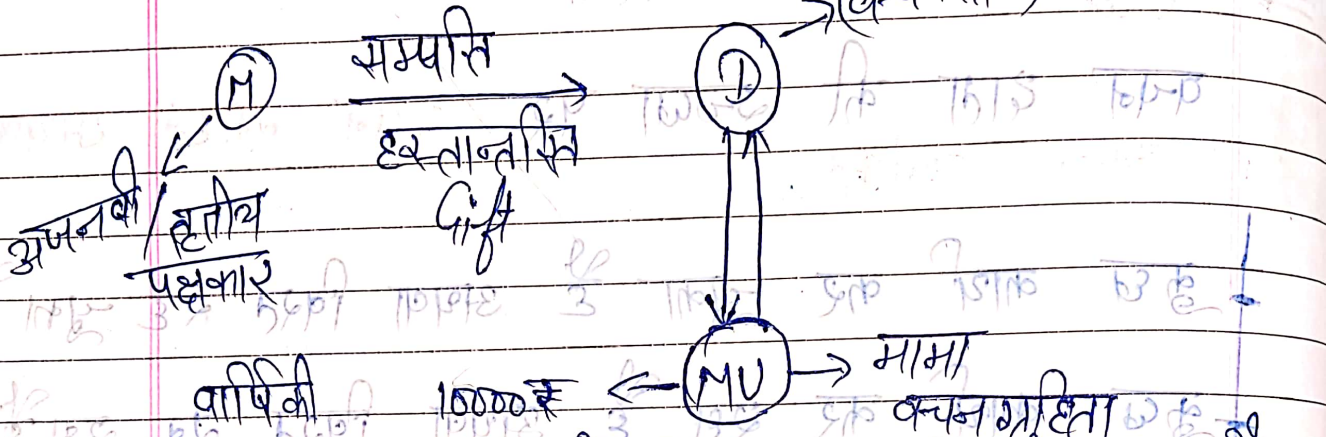

निर्णय → प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है।
मामा वार्षिकी भानजी से प्राप्त कर सकता है।

3) निष्पादित व निष्पादनीय प्रतिफल
कार्य का निष्पादन — गतिविधि में सन्निहित
निष्पादन का वचन — वचन का समाविष्ट

4.) प्रतिफल भूत भविष्य व वर्तमान हो सकता है।

5.) प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है।
Theory → बोल्टन बनाम मैडेन
→ धारा 25 स्पष्टीकरण 2

कुछ ऐसा करना जिसके लिए व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य हो। →

PAGE NO.:
DATE: / /

6) प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे करने के लिए व्यक्ति पहले से ही वैधानिक रूप से बाध्य हो

e.g. Doctor ⟷(10 lac) अमीर व्यक्ति

Police ⟷(10 lac) चोर पकड़ने के लिए

वकील (already Paid) ⟷(10 lac) यदि Case जीता दे

7) प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए ना कि भ्रमात्मक →

e.g. असम्भवता का कोई सा भी उदाहरण आसमान से तारे तोड़ना

8) प्रतिफल अवैधानिक, अनैतिक व लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

संविदा में ★ विशिष्टता का सिद्धान्त ⇒ सिर्फ पक्षकार ही एक-दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य कोई नहीं

→ अनुबन्ध के लिए अजनबी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता

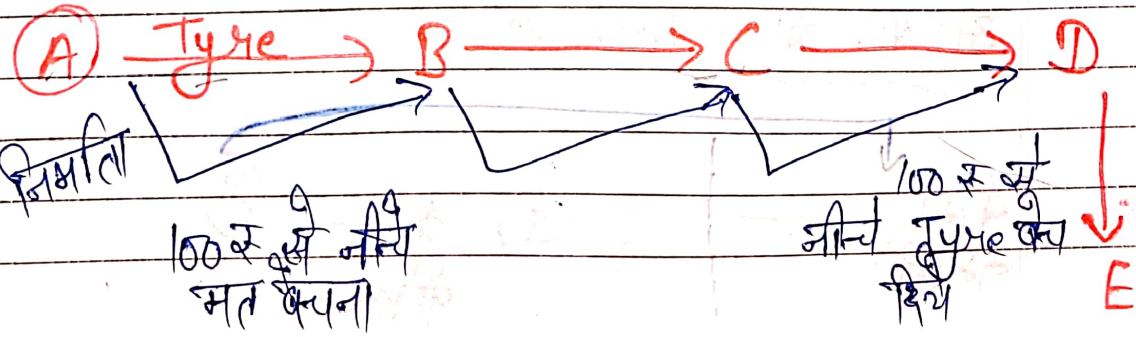

Imp. Case Study

क्या ... A, B पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।

→ अनुबन्ध में एक अजनबी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता

अपवाद :→ निम्न परिस्थितियों में तृतीय पक्षकार भी वाद प्रस्तुत कर सकता है।

① लाभग्राहिता की स्थिति, प्रन्यास के अन्तर्गत :
ट्रस्ट के मामले में

पिता (F) ⟷ प्रन्यास ⟷ (N) पड़ौसी (प्रन्यासी)

अवयस्क बेटा (M) → लाभग्राहिता / हितग्राहक

2) पारिवारिक निपटारे :— → लिखित

पिता (F) ⟷ (S) पुत्र

Annuity
वार्षिकी भत्ता ← (M) माँ

3) अनुबंध का हस्तान्तरण

लाभ को हस्तांतरित

बीमा कम्पनी ⟷ (S) बीमा पॉलिसी → (Y)

4.) दायित्व स्वीकार करने के बाद गत्यावरोध

5.) विशिष्ट वैवाहिक अनुबन्ध :-

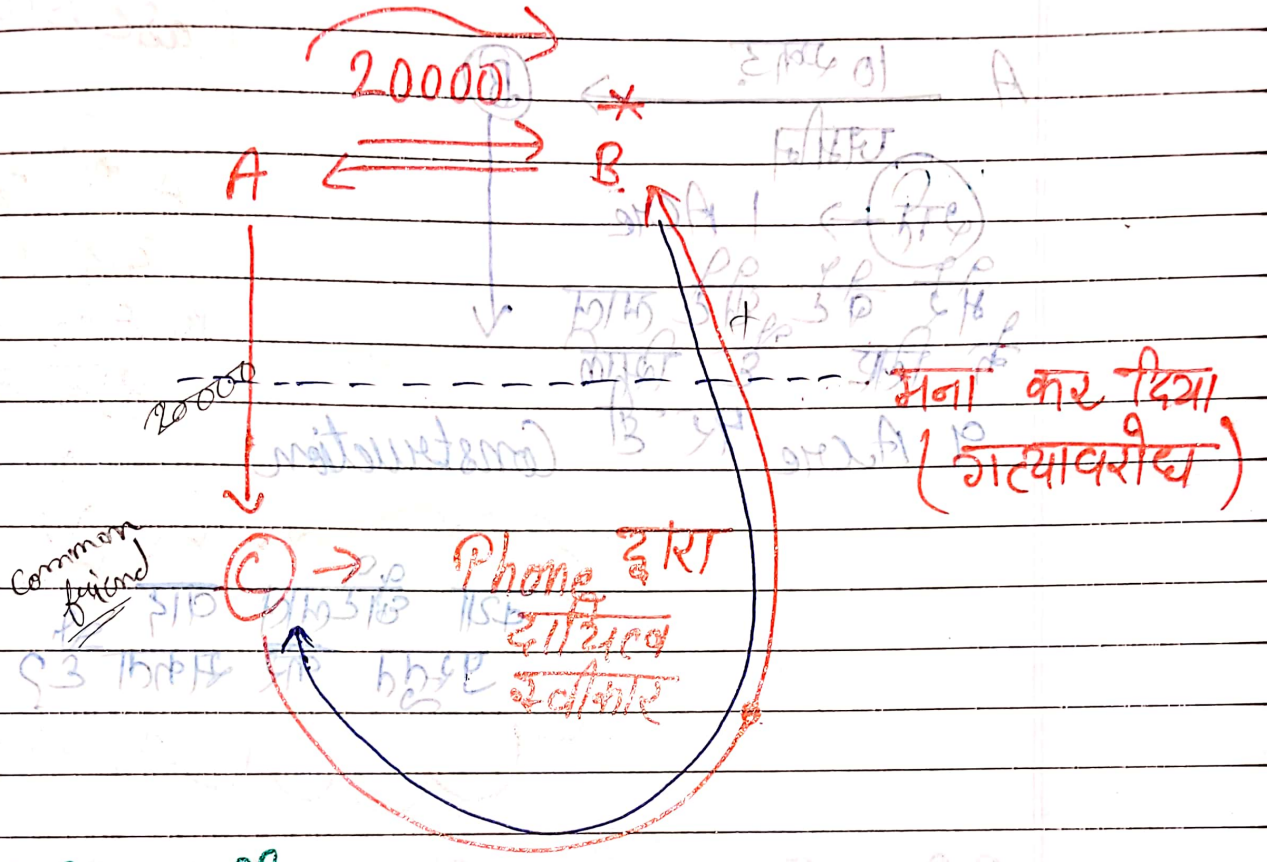

जिसका लाभ जुड़ा है वह वाद प्रस्तुत कर सकता है

हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF)
↓
विभाजन
↓
महिला सदस्य के विवाह के खर्चों हेतु प्रावधान
↓
लाभ ग्राहिता वाद प्रस्तुत कर सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

(6) बेनामी भूमि के मामले में :→

Case Study

A —10 एकड़ जमीन→ (B)

शर्त → 1 Acre मेरे बेटे छोटे लाल के लिए है किन्तु 9 Acre पर ही Construction

A की मृत्यु के बाद B ने सम्पूर्ण 10 एकड़ पर निर्माण शुरू कर दिया

क्या छोटेलाल वाद प्रस्तुत कर सकता है?

7.) एजेन्ट के माध्यम से किये गये अनुबन्ध :-

प्रधान भी बाध्य होगा यदि

- एजेंट ने अपनी अधिसत्ता के भीतर रहकर कार्य किया है।
- प्रधान के नाम से कार्य किया है।

Practical & Mr. Ramesh Mrs. Lali

PAGE NO. :
DATE : / /

☆ "प्रतिफल नहीं अनुबन्ध नहीं" धारा - 25

☆ बिना प्रतिफल के अनुबन्ध व्यर्थ होता है।

अपवाद :-

① प्राकृतिक स्नेह (प्रेम) एवं लगाव द्वारा

② विगत काल में स्वेच्छा से किये गये कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति

3. कालबाधित ऋण को चुकाने का वचन — लिखित, हस्ताक्षर युक्त

4. उपहार या भेंट

5. एजेंसी
6. निक्षेप } एजेन्सी व निक्षेप के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती

7. दान

Past (2) Main Mene Jo mene (3) time Pass ka (1) Love kiya tha, Jisme apko (4) Gift mein (6) bailment mila tha aap (5) agent ke dwara (7) charity mee de do.

Unit II

Other Essential Elements of a Contract Unit:-

अनुबन्ध करने में अक्षम पक्षकार

- **अवयस्क**
  - 18 yrs
  - 21 yrs
    - संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त
      - भारतीय वयस्कता अधिनियम
- **मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति**
  - अनुबन्ध को समझ नहीं सकता
  - निर्णय लेने की क्षमता नहीं
  - मूर्ख
  - पागल
  - शराबी
- **विधि / कानून द्वारा अयोग्य घोषित**
  - विदेशी शत्रु
  - दिवालिया
  - अपराधी
  - विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (राजदूत)
  - अपराधी निगम

स्वतन्त्र सहमति

मतैक्यता :- समान चीज समान भाव से विचारों का मिलाप या मस्तिष्क का मिलान

① Jaipur → Delhi

PAGE NO. :
DATE : / /

जानकर सहमति → स्वतन्त्र धारा 14
↓
यदि निम्न कारणों से नहीं है →

- उत्पीडन → 15
- अनुचित प्रभाव → 16
- कपट → 17
- मिथ्यावर्णन → 18
- गलती } → व्यर्थ
  ↓
  20, 21, 22

प्रभाव ↓ शून्यनीय ←

उत्पीडन धारा - 15

1) भारतीय दण्ड विधान द्वारा वर्जित कार्य करना या धमकी देना अथवा

2) गैरकानूनी रूप से सम्पत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया जा सके

इस इरादे से कि वह व्यक्ति अनुबन्ध कर ले उत्पीडन कहलाता है।

✻ आत्महत्या की धमकी उत्पीडन में ली जायेगी।

⇒ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस जगह अपराध किया गया है वहा पर भारतीय दण्ड विधान लागु होता है अथवा नहीं।

DATE: / /

प्रभाव

1.) अनुबन्ध व्यर्थनीय होगा।

2.) पीड़ित पक्षकार ने लाभ उठाया है तो वह उस लाभ को वापस करेगा।

3.) यदि उत्पीड़न के अन्तर्गत कोई भुगतान प्राप्त किया गया है तो वह भुगतान / लाभ वापस करना पड़ेगा। (दोषी पक्षकार)

उदाहरण → (1) आत्महत्या की धमकी

(2) A, B से कहता है 10 lac की सम्पत्ति 2 लाख में मेरे नाम कर दो वरना तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा।

अनुचित प्रभाव धारा - 16

पक्षकारों के मध्य ऐसे सम्बन्ध है कि एक पक्षकार

a) दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है।

b) वह अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है

तो इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं।

विशेषतायें :-

1.) पक्षकारों के मध्य निकट सम्बन्ध

2.) इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति :→

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

(a.) वास्तविक व दृश्यमान सत्ता
(b.) विश्वासजन्य / विश्वाश्रित सम्बन्ध
(c.) मानसिक अस्वस्थता
(d.) अनुचित लेनदेन

3.) इरादा अनुचित लाभ उठाता है।
4.) सिद्ध करने का भार → पीड़ित पक्षकार पर होगा।

प्रभाव → अनुबन्ध व्यर्थनीय होगा।

न्यायालय की शक्ति → न्यायालय चाहे तो अनुचित प्रभाव के अन्तर्गत किये गये अनुबन्ध को रद्द कर सकता है या परिवर्तन सहित लागू कर सकता है।

उदाहरण →

Important कपट धारा -17

Q/ 7 Marks धोखा देने का इरादा

सामान्य चुप रहना कपट

निम्न को कपट में शामिल किया जायेगा →

1.) ऐसा कथन जिसे वह व्यक्ति स्वयं नहीं मानता।
2.) सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाना।
3.) ऐसा वचन देना जिसे निभाने का कोई इरादा ना हो।
4.) जिसे कानून द्वारा कपटमय घोषित किया गया है।
5.) कोई भी कार्य जिससे किसी दूसरे को धोखा दिया जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE:

कपट के मामले में उपचार → अनुबंध ↓ व्यथनीय

क्षतिपूर्ति के लिए वादा	अनुबन्ध रद्द	निष्पादन पर जोर दे सकता है जिससे कहा गया कथन सत्य हो जाये
वैध	व्यर्थ	

★ V. Imp — क्या चुप रहना कपट है?

सामान्यतः चुप रहना कपट नहीं है क्योंकि सामान्य नियम है "क्रेता सावधान रहो" (Word बनाम Hobbs)

अपवाद ! →
1.) बोलने के लिए व्यक्ति का कर्तव्य
2.) जहाँ चुप रहना बोलने के बराबर हो

Give examples

★ निम्न अनुबन्धों में बोलने का कर्तव्य बनता है →

1.) सद्भावना सम्बन्ध → Broker & client
2.) बीमा के अनुबन्ध
3.) विवाहिक अनुबन्ध — disclose the fact
4.) पारिवारिक निपटारे के अनुबन्ध – पिता – पुत्र
5.) अंश आबंटन के अनुबंध

गलत बयानी

मिथ्यावर्णन → धारा 18

+ अनजाने में किसी को धोखा देना
+ धोखा देने का इरादा नहीं

सकारात्मक अभिकथन → ऐसा कथन जिसे वह व्यक्ति स्वयं भी सत्य मानते है यद्यपि वह गलत निकल जाता है।

कर्तव्य भंग होना → यद्यपि धोखा देने का इरादा नहीं है परन्तु इससे एक पक्षकार को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान

अन्जाने में एक अनुबन्ध के पक्षकार को विषय वस्तु से सम्बन्धित गलती करने के लिए प्रेरित करना

Give examples

(A) → प्रविवरण 20000₹

प्रवर्तक

ऊर्जा → Turbine

↓ permit

Local Authority

Company ← ✗ —

↓ बंद

No permit

उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन के अन्तर्गत किया गया अनुबन्ध → धारा 19

अनुबन्ध → व्यर्थनीय सामान्यतः

PAGE NO. :
DATE : / /

अपवाद (मिथ्यावर्णन व मौन द्वारा कपट के मामले में)

1) यदि पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था।
यदि वह साधारण विवेक से कार्य करता परन्तु वह लापरवाही दिखाता है।

↓

अनुबन्ध → वैध ✓

2) यदि पीड़ित पक्षकार कपट व मिथ्यावर्णन द्वारा भ्रमित नहीं होता

↓

अनुबन्ध → वैध ✓

गलती (किसी चीज के बारे में गलत विश्वास)

धारा - 20, 21, 22

- **कानून की गलती** → वैध
  - भारतीय कानून
    - अनुबन्ध → वैध ✓
    - कानून की अज्ञानता अक्षम है।
    - Casefile
  - विदेशी कानून
    - व्यर्थ
    - तथ्यों की गलती के समान मानी जायेगी।
- **तथ्य की गलती** — व्यर्थ
  - एकपक्षीय गलती
    - सामान्यत: वैध ✓
    - अपवाद : (व्यर्थ)
      - a) व्यक्ति की पहचान सम्बन्धि गलती
      - b) अनुबन्ध की प्रकृति सम्बन्धि
  - Case file
  - द्विपक्षीय गलती
    - व्यर्थ

अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल धारा - 23

↓ अनुबंध व्यर्थ

निम्न मामलों में प्रतिफल व उद्देश्य अवैधानिक होगा →

1.) कानून द्वारा वर्जित हो
2.) कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला हो
3) भारत में प्रचलित नियमों की अवहेलना करने वाला हो।
4) कपटमय हो।
5.) किसी व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वाला हो।
6.) अनैतिक हो।
7.) लोकनीति / जननीति के विरुद्ध हो।

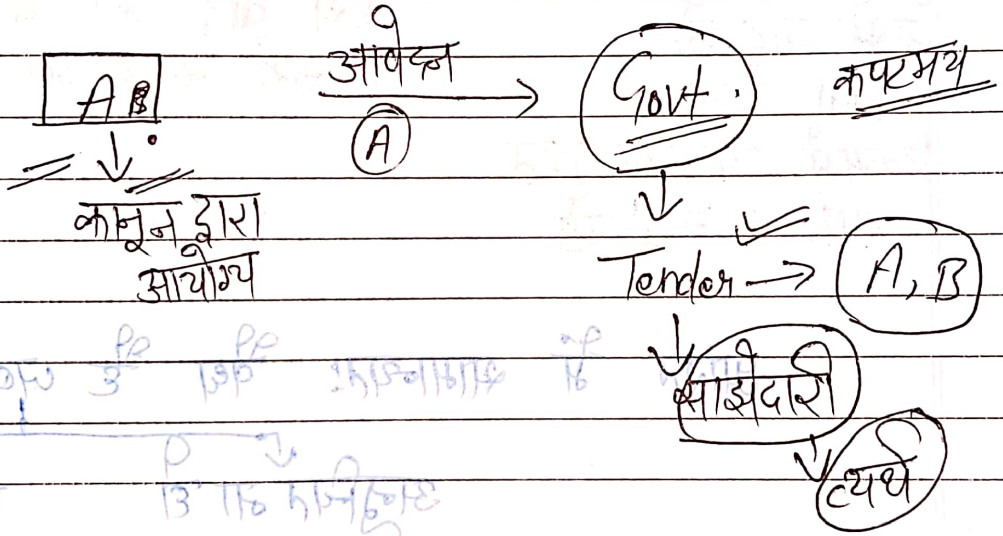

लोकनीति के विरुद्ध समझौते → व्यर्थ

1.) विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करना → C.G. का License

2.) कानून का मार्ग अवरुद्ध करना → दण्डनीय मामलों को दबाना
↓
बल प्रयोग करके

PAGE NO.:
DATE: / /

जेल ✓

भारतीय दण्ड विधान

अपराध

- **समझौता योग्य अपराध**
  - वैध जुर्माना
  - जेल ✗
- **समझौता करने योग्य नहीं**
  - लोकनीति के विरुद्ध
    - व्यर्थ

3.) वादपोषण व वादक्रय

- वादपोषण → ऐसे वाद को बढ़ावा देना जिसमें स्वयं का हित शामिल नहीं हो
- वादक्रय → ऐसे वाद को बढ़ावा देना जिसमें स्वयं का हित शामिल हो

England → व्यर्थ

भारत में सामान्यत: वैध है जब तक कि

- अनुचित ना हो
- गलत इरादे से ना किया जाये

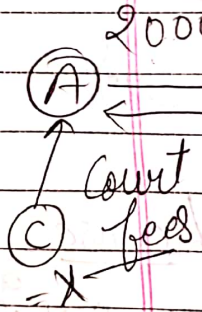

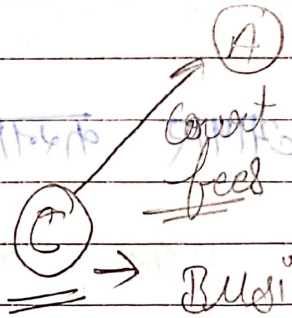

PAGE NO. :
DATE : / /

4) सार्वजनिक पदों की बिक्री → ① आयकर विभाग में नौकरी
② पद्म विभूषण

5) एकाधिकार के सृजन हेतु समझौता
↳ प्रतिद्वन्द्विता → समाप्त

6) विवाह दलाली के ठहराव → 1.) Matrimonial sites यथा Marriage Bureause

7.) न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप करना
↳ ① Judge → रिश्वत
② गवाह → पैसे

8.) दायित्व के विरुद्ध हित
→ Private officer - रिश्वत

9.) प्रतिफल जो अंशत: गैरकानूनी है।

कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित

1.) शादी में बाधा डालने वाला समझौता :→
अपवाद : अवयस्क

2.) व्यापार में बाधा डालने वाले समझौते →

अपवाद :→
वैध { 1.) ख्याति का विक्रय
2.) साझेदारी

Scanned with OKEN Scanner

DATE: / /

वैध
- 3. सीमित दायित्व साझेदारी
- 4. व्यापार संयोजन
- 5. सेवा के ठहराव
- 6. एक मात्र व्यापार के ठहराव तथा फ्रैंचाइज

3) वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले **समझौते**

ऐसे समझौते जिसके अन्तर्गत एक पक्षकार को
a) पूर्णतः कानूनी कार्यवाही करने से रोका जाता है।
b) कानूनी कार्यवाही करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है।

अपवाद :→ पंचनिर्णय / पंचनामा → ① वर्तमान विवाद, ② भूत / भावी विवाद

(4) अनिश्चित वाले ठहराव

5) **बाजी के ठहराव → धारा - 30**

परिभाषा :→ किसी भावी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर मुद्रा या मुद्रातुल्य वस्तु चुकाने का वचन बाजी का ठहराव कहलाता है।

उदाहरण → बारिश → 500 ₹ → B
A ←

बाजी = शर्त लगाना

आवश्यक तत्व :→ From Slide

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

☺ बाजी लगाने के समान लेनदेन (जुआ) :-

1) लॉटरी के लेनदेन
2) क्रॉस वर्ड पजल या पहेली या प्रतियोगिता
3) सट्टे के लेन देन
4) घुड़दौड़ के लेनदेन

☺ बाजी के लेन देन से मेल खाते हुए लेनदेन परन्तु व्यर्थ नहीं :-

1.) चिट फण्ड
2) वाणिज्यिक लेनदेन या अंश बाजार (Share Market) के लेनदेन
3) चातुर्य के खेल या क्रीडा प्रतियोगिता
4.) बीमा के अनुबंध

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

Unit-4 अनुबंध का निष्पादन

धारा - 37

अनुबंध के पक्षकारों को → अपने अपने वचनों को (1) पूरा करना चाहिए या (2) पूरा करने का प्रस्ताव देना चाहिए (3)

(4) अनुबंध करने वाले पक्षकारों के कर्तव्य

जब तक कि

(6) उसका परित्याग ना कर दिया जाये

(5) अनुबंध अधिनियम या अन्य कानून द्वारा क्षमा प्रदान ना कर दी गई हो।

मृत्यु → उत्तराधिकारी

निष्पादन

वास्तविक निष्पत्ति

दोनों पक्षकारों द्वारा अपने - अपने वचनों का निष्पादन किया जा चुका है।

निष्पत्ति हेतु प्रस्ताव / प्रयासित निष्पत्ति / निष्पत्ति का टेण्डर

वचनदाता दायित्व को पूरा करने का प्रस्ताव देता है परन्तु वचनग्रहीता निष्पत्ति स्वीकार करने से मना कर देता है।

P → Q

अनुबंध किसके द्वारा किया जाये

- धारा 40 — स्वयं वचनदाता द्वारा
  - व्यक्तिगत योग्यता / चातुर्य या प्रतिभा के अनुबन्ध
- अभिकर्ता द्वारा
  - Agent द्वारा
- कानूनी प्रतिनिधि
  - मृत्यु वैधानिक उत्तराधिकारी
  - व्यक्तिगत योग्यता
  - अनुबन्ध समाप्त
- ☆ तृतीय पक्षकार द्वारा
  - धारा 41
- ☆ संयुक्त वचनदाता
  - धारा 42, 43, 41 (Practical)

धारा 41 — तृतीय पक्षकार द्वारा वचन की निष्पत्ति स्वीकार करने के परिणाम :- V. Imp

Practical

यदि वचनग्रहिता → तृतीय पक्षकार से निष्पादित स्वीकार करता है → तो वह बाद में उसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं करा सकता

वचनदाता अपने दायित्व से मुक्त हो जायेगा।

यद्यपि वचनदाता ने

- ना तो तृतीय पक्षकार को अधिकृत किया था।
- ना ही उसके कार्य की पुष्टि की थी।

PAGE NO.:
DATE: / /

Example → Refer Slide

उत्तराधिकार	अधिविन्यास
• अधिकार व दायित्व दोनों का हस्तान्तरण	• सिर्फ अधिकार / लाभ का हस्तांतरण
• दायित्व उसी सीमा तक हस्तान्तरित होंगे जिस हद तक सम्पत्ति हस्तांतरित हुई है।	• व्यक्तिगत योग्यता के अनुबन्धों का अधिविन्यास नहीं हो सकता।

निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना करने का प्रभाव धारा - 38

वचनदाता ने वचनग्रहिता के समक्ष निष्पादन का प्रस्ताव रखा → परन्तु वचनग्रहिता ने स्वीकार करने से मना कर दिया

तो वचनदाता

- निष्पादन ना करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  ↓
  वचनदाता दायित्वों से मुक्त
- अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों को नहीं खोता
  ↓
  क्षतिपूर्ति हेतु वाद

संयुक्त वचनदाता

धारा-42
संयुक्त दायित्व की जिम्मेदारी
↓
सभी वचनदाता अपने जीवनकाल में संयुक्त रूप से वचन का निष्पादन करेंगे।

• मृत्यु → वैधानिक उत्तराधिकारी अन्य संयुक्त वचनदाताओं के साथ मिलकर

धारा-43
किसी भी संयुक्त वचनदाता को वचन पूरा करने के लिए विवश
↓
वचनगृहीता किसी भी संयुक्त वचनदाता को पूरी राशि के भुगतान के लिए विवश कर सकता है।

दिवालिया होने की स्थिति में सक्षम संयुक्त वचनदाता वचन को पूरा करेगा।

हानि में अंशदान

धारा-44
एक संयुक्त वचनदाता की विमुक्ति का परिणाम
↓
अन्य संयुक्त वचनदाता दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे।

विमुक्ति के बाद भी वह संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाता के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा।

⇒ संयुक्त वचनदाता → दायित्व → संयुक्त एवं पृथक दोनों

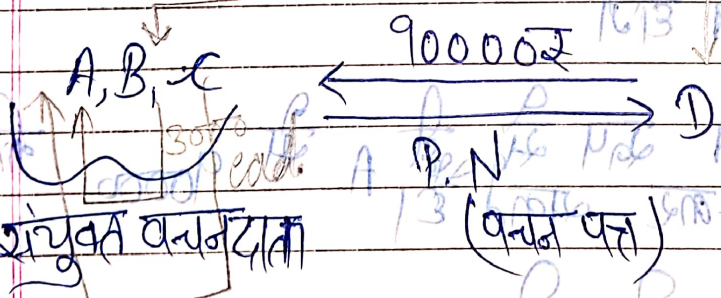

धारा 42 ⇒ A, B, C → 30000 each.

A मृत्यु → A's उत्तराधिकारी + B + C

धारा 43 → D → A (90000) Payment करेगा करना पड़ेगा परन्तु बाद में B व C से अंशदान (30000 ₹ each) माँग सकता है।

A → दिवालिया → B, C (45000)
45000

धारा 44 → D ने A को विमुक्त कर दिया तो B व C विमुक्त नहीं होंगे।

विमुक्ति के बाद भी A, B व C के प्रति जिम्मेदार बना रहेगा।

Joint Promisee संयुक्त वचनग्रहिता

A —90000→ B C D

A ← वचन पत्र — B C D

- दायित्व संयुक्त होंगे
- B, C, D संयुक्त रूप से ही A से 90000 की माँग कर सकते हैं।
- मृत्यु - उत्तराधिकारी

वचन के पूरा करने हेतु समय व स्थान :→

- **आवेदन नहीं किया जाय** (वचनग्रहिता द्वारा)
  - **समय निर्धारित नहीं हो** 46
    - उचित समय
    - तथ्यों का प्रश्न
  - **समय निर्धारित हो** 47
    - व्यवसाय के सामान्य घण्टे
  - **स्थान निर्धारित नहीं हो** 49
    - उचित स्थान
    - वचनदाता का कर्तव्य बनता है कि वह वचनग्रहिता से आवेदन करें।
- **आवेदन किया जाय** 48
  - वचनग्रहिता का कर्तव्य बनता है कि वह व्यवसाय के सामान्य समय व उचित स्थान पर निष्पत्ति हेतु आवेदन करे
- **वचनग्रहिता द्वारा निर्धारित तरीके व समय पर निष्पत्ति** 50

व्युत्क्रम वचनो का निष्पादन →

Section → 51
1.) वचनदाता कार्य पूरा करने के लिए तब तक बाध्य नहीं है जब तक वचनग्रहीता कार्य पूरा करने के लिए इच्छुक व तत्पर ना हो।

Example ⇒

Section 52
(ii) व्युत्क्रम वचनो के निष्पादन का क्रम ⇒ यदि वचनो के निष्पादन का क्रम दिया गया है तो निष्पादन क्रमानुसार होगा।

(iii) यदि व्युत्क्रम वचनो के निष्पादन का क्रम नहीं दिया गया तो निष्पादन लेन-देन की प्रकृति के अनुसार होगा।

Section → 53
(iv) एक पक्षकार द्वारा यदि दूसरे पक्षकार को वचन पूरा करने से रोका जाता है तो अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा।

(v) सशर्त व निर्भर व्युत्क्रम वचन → यदि एक पक्षकार द्वारा वचन
Section → 54
को पूरा करना दूसरे पक्षकार द्वारा पूर्व निष्पत्ति पर निर्भर करता तो पहले पक्षकार को भी कार्य पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है।

A ⟶ Tailor
↙
बेशर्त
→ कपड़ा → खुद

ग्राहक कपड़ा खुद लेकर नहीं आता तो tailor coat सिलने के लिए बाध्य नहीं है।

Section-55
(vi) (a) यदि समय सारतत्व (अनिवार्य तत्व) है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता तो अनुबन्ध पीड़ित पक्षकार की इच्छा व्यर्थनीय होगा।

Example → सोना चाँदी

(b) यदि समय अनिवार्य तत्व नहीं है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया जा सकता है → वैध अनुबंध

Example - अचल सम्पत्ति

(c) समय अवधि बीत जाने के बाद निष्पत्ति स्वीकार करने का प्रभाव →
यदि समय सारतत्व है परन्तु वचन ग्रहीता समय बीत जाने के बाद निष्पादन स्वीकार कर लेता है तो वह अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकता और हानि भी तभी मिलेगी जब पूर्व सूचना दी जाए।

← निडकी *

Section 56

(7) असम्भव कार्य के लिए ठहराव ⇒

- **प्रारम्भिक असम्भवता** → व्यर्थ
  - पक्षकारों को जानकारी है → व्यर्थ
  - पक्षकारों को जानकारी नहीं है → व्यर्थ
  - केवल वचनदाता को जानकारी है → क्षतिपूर्ति हेतु वाद
- **बाद की आवश्यकता**

Section 57

8) व्युत्क्रम वचन जिसका एक भाग वैधानिक है और दूसरा भाग अवैधानिक है। यदि अवैध भाग को वैध भाग से पृथक किया जा सकता है तो वैध भाग लागू कराया जा सकता है और अवैध भाग व्यर्थ हो जायेगा परन्तु यदि पृथक करना सम्भव नहीं है तो पूरा समझौता व्यर्थ हो जायेगा।

Section 58

9) **वैकल्पिक वचन जिसकी एक शाखा अवैधानिक हो ⇒**
सिर्फ वैधानिक शाखा को ही लागू कराया जा सकता है।

* **विलयन ⇒** जब निम्न कोटि के अधिकार उच्च कोटि के अधिकारों में बदल जाते हैं तो निम्न कोटि के अधिकारों का अनुबंध समाप्त हो जाता है। यदि किरायेदार मकान मालिक बन जाता तो किरायेदारी का अनुबंध समाप्त।

Practical Q सोजूमल Practical

PAGE NO.:
DATE: / /

धारा 59–61

भुगतान का नियोजन :→ जब एक देनदार ने एक ही लेनदार से कोई ऋण लिए है तथा भुगतान करता है जो सभी ऋणों के निपटान हेतु पर्याप्त नहीं है तो ऐसे मामलों में भुगतान का नियोजन निम्न नियमों के अनुसार होगा।

59
1. भुगतान का अनुभव, जब किये गये ऋण भुगतान को अंकित किया जाये (देनदार)

↓ देनदार की इच्छा पर

60
2. भुगतान का प्रयोग जहाँ निपटान किया जा रहा ऋण बताया नहीं जाता है। (देनदार ×)

↓ लेनदार की इच्छा पर

61
3. भुगतान का अनुभव जब कोई पक्ष नियोजन ना करे

↓ समय क्रम के अनुसार (FIFO Method)

↓ यदि ऋण एक ही अवधि के है तो भुगतान का विनियोजन आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

I	II	III
10000	20000	30000

(1) ...
(2) ...
(3) FIFO, कालबाधित ऋण का भुगतान पहले होगा।
(4) एक ही दिन ⟶ आनुपातिक रूप से

8) वह अनुबंध, जिन्हें दोनों पक्षकारों की सहमति से पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती :→

① नवीनीकरण, विखण्डन व परिवर्तन का प्रभाव
धारा 62

नवीनीकरण → पुराने अनुबंध के स्थान पर नये अनुबंध का विस्थापन → पक्षकार बदल सकते है।

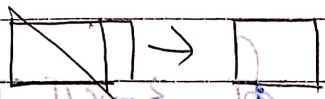

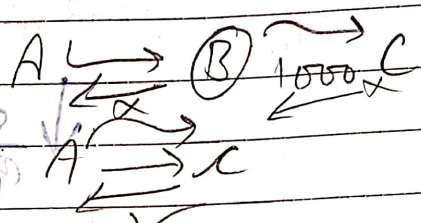

विखण्डन :→ दोनों पक्षकारों की सहमति से अनुबन्ध को निरस्त / रद्द किया जाता है।

परिवर्तन :→ पुराने अनुबन्ध की शर्तों में संशोधन → पक्षकार नहीं बदलते

18

Section 63
② वचनग्रहिता, वचन के निष्पादन का परित्याग कर सकता है। (विमुक्ति) →

- परित्याग
- आंशिक विमुक्ति ↓ 10000 → 6000
- समयसीमा बढ़ा दो ↓ A → B, 15th March → ...March
- संतुष्टि में अन्य वस्तु स्वीकार करना

धारा = 64

3. व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभ को वापिस करना ⇒

उत्पीड़न कपट

A —6 Month→ बीमा Policy (B)
Premium

Imp. Practical
4.) व्यर्थ समझौते / अनुबन्ध के अन्तर्गत लाभ को वापिस करना
धारा – 65

जमानत राशि → सुरक्षार्थ → जब्त

Reading 5.) विखण्डन का संवहन :→ व्यर्थनीय अनुबन्ध के विखंडन पर प्रस्ताव के ही नियम लगेंगे

संवहन खंडन
प्रस्ताव के समान

6.) वचनग्रहिता की लापरवाही तथा वचनदाता को पर्याप्त सुविधायें ना उपलब्ध कराने के प्रभाव :→ धारा 67

वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

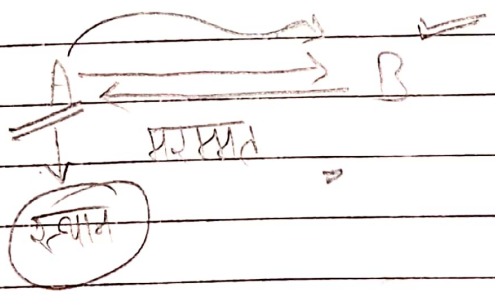

PAGE NO.:
DATE:

V. Imp

6 Marks direct Q

अनुबंध की समाप्ति

1.) निष्पत्ति द्वारा समाप्ति → वास्तविक / प्रस्तावित

2.) पारस्परिक ठहराव द्वारा समापन → नवीनीकरण, परिवर्तन, विखण्डन, विमुक्ति

3) निष्पत्ति की असम्भावना द्वारा समाप्ति

4) समय बीतने के कारण समाप्ति

5.) कानून के परिचालन द्वारा समाप्ति

6.) अनुबंध भंग के कारण समाप्ति

7) एक वचनग्राहिता उसको दिये गये वचनों के निष्पादन से विमुक्ति दे सकता है।

8.) वचनग्राहिता द्वारा वचन की निष्पत्ति हेतु वचनदाता को उचित सुविधायें देने में भूल के परिणाम

9) अधिकारी का सम्मिलन

PAGE NO. :
DATE : / /

Unit 5: अनुबंध भंग

भंग / विखण्डन

- वास्तविक भंग
  - देय | तिथि पर
    - स्पष्ट
    - गर्भित
- सम्भावित विखण्डन / प्रत्याशित भंग
  - देय तिथि | से पूर्व
    - स्पष्ट
    - गर्भित

प्रत्याशित भंग धारा-39

जब अनुबन्ध का एक पक्षकार ← निष्पादन करने से मना करता है। / निष्पादन में स्वयं को असमर्थ पाता है। → देय तिथि से पहले अपने वचन को तो

वचनगृहिता

- अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है।
- शब्दों या आचरण द्वारा जारी रख सकता है।

प्रत्याशित भंग / सम्भावित विखण्डन का प्रभाव :→

वचनगृहिता निष्पादित करने से मुक्त हो जायेगा

2 ↓ विकल्प

Mr. Rama
★ Important Practical Q.

PAGE NO.:
DATE: / /

↓ अनुबन्ध को समाप्त मानकर तुरन्त हर्जाने की माँग कर सकता है।

↓ अनुबन्ध को क्रियाशील मानकर देय तिथि का इंतजार कर सकता है फिर अन्य पक्षकार को जिम्मेदार ठहरा सकता है।

यदि बीच में कोई बाद की असम्भवता घट जाती है तो अनुबन्ध असम्भवता द्वारा समाप्त (व्यर्थ) हो जायेगा।

धारा 39
frost v.s Knight

अनुबन्ध का वास्तविक विखण्डन किया जाता है।

↓ उस समय पर जब अनुबन्ध की निष्पत्ति देय होती है।

↓ अनुबंध की निष्पत्ति के दौरान

अनुबंध भंग पर उपचार → Refer Slide ical

★ Important Practical Q.

अनुबंध भंग से उत्पन्न होने के लिए हर्जाना

धारा = 73

(1.) जब एक अनुबन्ध भंग होता है। पीड़ित पक्षकार हर्जाने की माँग कर सकता है।

क्षतिपूर्ति केस्
★Y

Important धारा-73
Hadley v.s Bexandle

PAGE NO.:
DATE: / /

(8) हर्जाना माँगा जा सकता है।

ऐसी हानि जो घटनाओं के सामान्य परिचालन में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है।

ऐसी हानि जिसकी जानकारी पक्षकारों को अनुबंध करते समय थी।

Hadley बनाम Bexande

साधारण हर्जाना — विशेष हर्जाना

(3) हानि को कम करने के लिए उचित कदम उठाये।

(4) अप्रत्यक्ष तथा दूरदराज की हानि के लिए कोई हर्जाना नहीं मिलेगी।

उपचार — Liability For Damages

(A) हर्जाना -> from

(1) साधारण हर्जाना => व्यवसाय के सामान्य परिचालन में स्वभाविक रूप से उत्पन्न हुई हानि के लिए साधारण हर्जाना मिलते है।

Calculate => बाजार मूल्य व अनुबंध मूल्य का

(2) विशेष हर्जाना => यह हर्जाना तभी मिलते है जब पक्षकारों को विशेष परिस्थितियों की जानकारी पहले से ही दी जा चुकी होती है।

Calculate :=> लाभ का नुकसान (Loss of Profit)

3.) बदले / प्रतिशोधात्मक / प्रतिकारात्मक / दण्डात्मक हर्जाने / उदाहरणीय क्षति ⇒ यहाँ पर हर्जाने की राशि ज्यादा होती है।

- यह दो मामलों का समावेश करता है मान हानि व भावनाओं को ठेस पहुँचाना।
- विवाह के वचन को भंग करना।
- बैंकर द्वारा ग्राहक के चैक को अनादरित करना जबकि ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि है।

4.) मामूली हर्जाने / चुकाने का दायित्व या नाममात्र के हर्जाने ⇒ वास्तव में पक्षकार को कोई हानि नहीं होती परन्तु उसके वैधानिक अधिकारों का हनन होता है।

हर्जाने की राशि काफी कम होती है।
इनको अनुबंध भंग के लिए मात्र बिक्री के अधिकार के रूप में दिया जाता है।
[न्यायालय का लिखित आदेश]

5.) देरी के कारण होने वाले विनाश के लिए हर्जाने ⇒

यदि देरी के कारण वस्तु नष्ट हो जाती है तो वाहक / परिवहन वाले से बिना सूचना दिए हर्जाने वसूल किये जा सकते है।

6.) परिनिर्धारित हर्जाने या क्षतिपूर्ति ⇒ यह राशि पक्षकारों

द्वारा पहले से ही अनुबंध में तय कर दी जाती है। यदि यह तय राशि हानि का उचित पूर्वानुमान है तो इसे समापक हर्जाने या निस्तारित हर्जाने कहते हैं। और यदि यह राशि अनुचित है या जरूरत से ज्यादा है तो इसे दण्ड कहते हैं।

Imp: **समापक हर्जाने व दण्ड में अन्तर :–**
(परिसमापन)

(B.) अनुबंध का विखण्डन :-> अनुबन्ध को समाप्त करके फिर हानि/क्षतिपूर्ति की माँग करें।

(C) मात्रानुसार भुगतान (Quantum Meruit) ->

यह एक ऐसे मामले का समावेश करता है जहाँ भंग से पीड़ित पक्षकार भंग के समय पर आंशिक रूप से कुछ कर चुका है लेकिन सम्पूर्ण काम नहीं किया है, जिसको करने के लिए वह अनुबंध के अंतर्गत बाध्य है तथा किये गये काम के मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति होना चाहिए।

=> इस सिद्धांत के अनुभव के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए-

(1.) यह तभी उपलब्ध होता है जब मूल अनुबंध का निर्वाह कर चुका होता है।

(2.) ऐसे पक्षकार पर दावा रखा जाना चाहिए जो भूला नहीं हो।

किए गए कार्य के अनुसार, जितना अर्जित किया उतना ही चुकाया जाए।

अर्जित पारिश्रमिक
Quantum Meruit हेतु दावा निम्नलिखित है-

(A.) जब एक ठहराव को व्यर्थ पाया जाता है जब एक अनुबंध व्यर्थ होता है।

गैर अनुग्रही कार्य

(B.) जब अनुग्रह पूर्वक करने की किसी भावना के बिना किया जाए।
(C.) जब संकार देने तथा गर्भित अनुबंध हो लेकिन परिस्थिति
(d.) एक पक्षकार अनुबंध का निष्पादन करने से मना/त्याग
(e.) जहाँ एक अनुबंध बाँटने योग्य होता है पक्षकार आंशिक प्रदर्शन के लिए भुगतान का नहीं लाभ उठाता है।
(f.)

D.) विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद :- न्यायालय का आदेश जिसमें न्यायालय एक पक्षकार को कार्य पूरा करने के लिए निर्देश देता है क्योंकि हानि की गणना मुद्रा में करना सम्भव नहीं है।

(E.) निषेधात्मक हेतु वाद :→ न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा किसी पक्षकार को गलत कार्य करने से रोका जाता है। वह स्थायी या गलत हो सकती है।

☆ जो पक्षकार सही तौर पर विखंडन कर रहा है।

↓

हर्जाने के लिए अधिकृत होगा। धारा-75

eg. गायक व Theatre Manager

Imp. धारा - 73 Hadley vs Baxendly

निस्तारित और अर्थ 20S

धारा 75 Reading

Unit-6 संयोगिक अनुबंध व अर्द्ध अनुबंध

संयोगिक अनुबन्ध [धारा 31-36]

परिभाषा :- किसी कार्य को करने अथवा ना करने का अनुबन्ध जो किसी भावी अनिश्चित घटना के घटने अथवा ना घटने पर निर्भर करता पर निर्भर करता है। सांयोगिक अनुबन्ध कहलाता है।

उदाहरण :-> बीमा के अनुबन्ध, क्षतिपूर्ति के अनुबंध, गारण्टी के अनुबंध

सांयोगिक अनुबंध के आवश्यक तत्व :->

1) संयोगिक अनुबंध में वचनों का निष्पादन घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर होता है।

2) घटना अनुबंध के लिए समापार्श्विक होनी चाहिए।

Bullock व Mulla एक घटना जिसके निष्पादन का ना तो प्रत्यक्ष रूप से वचन दिया गया है और ना ही वह पूर्ण प्रतिफल है।

3) घटना वचनदाता की मात्र इच्छा नहीं होनी चाहिए

4) घटना अनिश्चित होनी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

संयोगिक अनुबंध के प्रवर्तन सम्बन्धित नियम :->

1) उन अनुबंधो का प्रवर्तन जो घटना के घटित होने पर निर्भर है।
2) उन अनुबन्धो का प्रवर्तन जो घटना के घटित नहीं होने पर निर्भर है।
3) निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर निर्भर
4) निश्चित समय के भीतर निर्दिष्ट घटना के घटित नहीं होने पर निर्भर

5) एक अनुबन्ध व्यर्थ हो जाता है जब वह किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर निर्भर है। और वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि घटना को पूरा करना असम्भव हो जाये।

6) असम्भव घटना के घटित होने पर निर्भर।

अर्द्ध अनुबंध / गर्भित अनुबंध

↓

मेल अनुबन्ध

- वास्तविक अनुबन्ध नहीं है।
- ना प्रस्ताव, ना स्वीकृति, ना धारा 10 के आवश्यक तत्व ⟶ वैध अनुबन्ध
- कानून द्वारा दायित्व स्थापित होते हैं।
- न्याय, समता एवं सद्भावना के सिद्धांत पर काम करते है।

PAGE NO.:
DATE: / /

- कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाकर मालदार नहीं बन सकता।

अर्द्ध अनुबंध की मुख्य विशेषताएँ :→

1. केवल मुद्रा का ही अधिकार।
2. कानून द्वारा उत्पन्न (पक्षकारों द्वारा नहीं)।
3. व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अधिकार लोकलक्षी

गर्भित अनुबन्ध के मामले :→ धारा 68 से 72

Practical ① अनुबन्ध करने में असक्षम व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई आवश्यकताओं के लिए दावा

अक्षम व्यक्ति या उनपे निर्भर को → जीवन यापन के लिए
अव्यस्क / मानसिक व्यक्ति अस्वस्थ
अनुकूल आवश्यकताओं की आपूर्ति खर्चा किया

असक्षम व्यक्ति की सम्पत्ति से देय मानी जायेगी।

Practical धारा 69

2. एक हितधारक व्यक्ति द्वारा भुगतान :→

Grasy Grasy Saini Grasy
Grasy Saini Ilu Saini

PAGE NO. :
DATE : / /

हितधारी या रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान → जब वास्तविक दायित्व किसी अन्य व्यक्ति का है।

↓

हितधारी व्यक्ति को अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करे।

अर्द्ध अनुबंध

उदाहरण :- (A) जमींदार पट्टे → (B) व्यवसाय (हितधारी व्यक्ति)

↓

भूराजस्व X

B भूराजस्व का भुगतान

सरकार → नीलामी

③ मूल्य सहित किये गये कार्य के अन्तर्गत लाभ उठा रहे व्यक्ति के दायित्व :→ धारा 70

a) कार्य या वस्तु की सुपुर्दगी वैध रूप से की गई थी।

b) उसने उक्त कार्य निशुल्क नहीं किया गया था।

c) अन्य व्यक्ति ने लाभ उठाया था।

तो अर्द्ध अनुबंध के अनुसार वह व्यक्ति जिसने लाभ उठाया था, उस व्यक्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

PAGE NO.:
DATE: / /

अर्द्ध अनुबंध

उदाहरण :→ A —गलती से सुपुर्दगी→ B गोदाम —प्रयोग

वास्तव में → C को सुपुर्दगी देनी थी।

(4.) खोई हुई वस्तु को पाने वाले व्यक्ति के दायित्व:

Practical Questions

निक्षेपग्रहिता के समान होंगे — धारा 71

⇒ खोये हुये माल को पाने वाले को →

(a.) उसी प्रकार से वस्तु की (सम्पत्ति की) रखवाली करो जैसे एक साधारण विवेक का व्यक्ति अपनी वस्तु की करता है।

(b.) माल के नियोजन का अधिकार नहीं होगा।

(c.) वास्तविक मालिक मिल जाने पर वस्तु वापिस करनी है।

Imp. Case Hollins V. Howler
↓
हीरा जमीन पर गिरा मिलता है।

उदाहरण :→ A Coat ——→ Broach उतार कर Shop पर भूल जाता है

(Shopkeeper जिम्मेदार माना जायेगा निक्षेप ग्रहिता के दायित्व पूरे नहीं किये) ← Shopkeeper से खो जाता है।

धारा 72

(5) गलती से अथवा विवशता के कारण धन का भुगतान

↓

यदि गलती या उत्पीड़न के अन्तर्गत धन का भुगतान किया जाता है तो

↓

वह वापिस करना होगा या लौटाना होगा।

A 10000 → C, B 20000

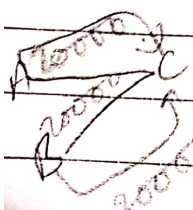

PAGE NO. :
DATE : / /

वस्तु विक्रय अधिनियम Chapter-2 1930

Unit-1

विक्रय का अनुबंध [धारा 4] → ऐसा अनुबन्ध जिसके द्वारा विक्रेता एक मूल्य के लिए माल में क्रेता को स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु सहमति देता है। या हस्तान्तरण करता है।

विक्रय → तुरन्त हस्तान्तरण

विक्रय का ठहराव → भविष्य में / घटना के घटने पर

विक्रय के अनुबंध के आवश्यक तत्व :→

1.) कम से कम दो पक्षकार (विक्रेता तथा क्रेता)

2.) विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु → माल

3) मूल्य का भुगतान (मुद्रा) में होना चाहिए। यह आंशिक रूप से वस्तु व आंशिक रूप में मुद्रा के रूप में किया जा सकता है।

4.) स्वामित्व का हस्तांतरण होना चाहिए। एक पक्षकार द्वारा माल को खरीदने या बेचने का प्रस्ताव दूसरे पक्षकार द्वारा इसकी स्वीकृति

5.) विक्रय का अनुबंध सशर्त अथवा शर्तरहित हो सकता है।

6.) वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

Differens अन्तर ↓ from ICAI

विक्रय = विक्रय का ठहराव
विक्रय = विक्रय, क्रय
विक्रय = विक्षेप
विक्रय = कार्य व सामग्री के अनुबंध

परिभाषाऐं: →

वस्तु व उसके प्रकार → Chart from ICAI

वस्तु या माल के प्रकार

(A) विद्यमान वस्तुऐं :→ वस्तुऐं जो अनुबंध के समय अस्तित्व में होती है अर्थात विक्रेता के स्वामित्व व कब्जे में होती है।

(imp) विशिष्ट ↓ माल जो अनुबन्ध के समय पहचाना व पसन्द (सहमति) किया गया होता है।

निर्धारित ↓ माल जो विक्रय के अनुबन्ध के बाद पहचाना व पसन्द किया जाता है।

अनिर्धारित ↓ माल जो अनुबंध के समय पहचाना व सहमत किया गया नहीं होता ↓ विवरण या नमूने द्वारा विक्रय

माल का भौतिक कब्जा

PAGE NO. :
DATE : / /

B. भावी माल :-

माल जिसका → निर्माण / → अधिग्रहण } विक्रेता द्वारा विक्रय के अनुबन्ध के बाद किया जाता है।

C. संयोगिक माल : विक्रेता द्वारा जिसकी प्राप्ति किसी अनिश्चित घटना के घटित पर निर्भर करती है।

माल की सुपुर्दगी धारा (2) विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के कब्जे (अधिकार) का ऐच्छिक हस्तान्तरण सुपुर्दगी कहलाता है।

सुपुर्दगी के प्रकार

(A) **वास्तविक सुपुर्दगी** :→ माल का भौतिक कब्जा अधिकार विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

(B) **लाक्षणिक सुपुर्दगी** (प्रतिकारात्मक) :→ जब एक वस्तु को सांकेतिक रूप में किसी अन्य वस्तु के स्थान पर हस्तान्तरित किया जाता है। होकर

e.g ① माल के सुपुर्दगी के पत्र देकर

② कार या गोदाम की चाबियाँ देकर आदि।

(C) **रचनात्मक सुपुर्दगी** (मुलतवित) :⇒ यहाँ पर माल एजेन्ट के पास होता है।

~~सांकेतिक या प्रतिकारात्मक सुपुर्दगी~~

- वस्तु की वास्तविक परिरक्षा (अधिकार) में कोई बदलाव नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

- वास्तविक अधिकार हस्तान्तरित नहीं होता परन्तु उसको वैधानिक प्रक्रिया से हस्तान्तरित माना जाता है।

उदाहरण! → एक गोदाम का मालिक जिसके कब्जे में A की वस्तुऐं है वह उन्हें A की प्रार्थना पर B के लिए रखने को सहमत हो जाता है।

गोदाम का मालिक B - एजेण्ट (प्रतिनिधि) B - विक्रेता B - क्रेता

मालकी सुपुर्दगी के प्रपत्र! → धारा 2(4)

- व्यवसाय के सामान्य क्रम में साक्ष्य (सबूत) के रूप में प्रयोग किये जाते है कि वस्तु पर कब्जा व नियंत्रण किसका है।

- हस्तांतरित किया जा सकता है
  → बेचान द्वारा
  → डिलीवरी (सुपुर्दगी) द्वारा

E.g. जहाजी बिल्टी, डॉक वारण्ट, गोदाम के स्वामी का प्रमाण पत्र, जहाजी घाट का प्रमाण पत्र सुपुर्दगी का आदेश

अपवाद: 1.) कप्तान की [illegible] :→ माल की प्रकृति हेतु स्वीकृति मात्र है।

2.) अंश प्रमाण पत्र! → अधिकार दर्शाने वाला दस्तावेज है पृष्ठांकन व सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण नहीं होता।

PAGE NO.:
DATE: / /

विक्रय का अनुबंध कैसे बनाया जाता है धारा 5

from ICAI

3 तरीके → • तुरन्त
• भविष्य में } माल की सुपुर्दगी
• किश्तों में } एवं भुगतान

विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु धारा -6

from ICAI

1) माल — → विद्यमान माल
→ भावी माल

2) सांयोगिक माल

3) विक्रय का अनुबंध → भावी मूल्य का वर्तमान विक्रय
↓
विक्रय हेतु ठहराव को अंजाम देगा

विषय वस्तु नष्ट होना :- ☆

2022 May

धारा 7	धारा 8
अनुबन्ध करने से पूर्व माल का नष्ट होना	अनुबंध होने के पश्चात माल का नष्ट होना
विशिष्ट माल	विशिष्ट माल
विक्रेता की जानकारी के ↓ व्यर्थ	दोनों पक्षकारों (विक्रेता व क्रेता) की गलती के बिना ↓ व्यर्थ

DATE: / /

मूल्य का निर्धारण (धारा 9 व 10)

धारा 9 मूल्य का निर्धारण निम्न तीन तरीके से किया जा सकता है।

1.) अनुबंध में - पक्षकारों द्वारा
2.) अनुबंध में निर्धारित की गई शर्तों द्वारा जैसे मूल्य आंकलक द्वारा
3.) पक्षकारों के मध्य व्यवहार द्वारा

यदि उपरोक्त तीन तरीके से मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता तो उचित मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा।

तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य का निर्धारण धारा 10

एक मूल्यांकन पर विक्रय हेतु ठहराव

- मूल्य का निर्धारण तृतीय पक्षकार द्वारा किया जा सकता है। यदि तृतीय पक्षकार मूल्य का निर्धारण कर दे तो अनुबंध वैध होगा।
  यदि तृतीय पक्षकार मूल्य का निर्धारण करने में असफल रहता है तो अनुबंध व्यर्थ होगा।

- यदि माल या उसका एक भाग क्रेता को डिलीवर किया जा चुका है या नियोजित किया जा चुका है
  ↓
  उचित मूल्य का भुगतान

- यदि अनुबन्ध का एक पक्षकार तृतीय पक्षकार को मूल्य निर्धारित करने से रोकता है।
  ↓
  पीड़ित पक्षकार हानि हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

Conditions and Warranty

PAGE NO.:
DATE:

UNIT 2: शर्तें एवं आश्वासन (वारंटी)

समय के संदर्भ में शर्तें :→ भुगतान के समय का विक्रय के अनुबन्ध में सारतत्व नहीं माना जाता। सुपुर्दगी का समय महत्वपूर्ण है ना कि भुगतान। कौन सा समय महत्वपूर्ण है अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा।

आधार	शर्तें	आश्वासन
अर्थ Meaning	बन्धन / कथन → अनुबन्ध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त	बन्धन अनुबंध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शर्त समपार्श्विक
विखण्डन की दशा में अधिकार Rights in Case of Breach	पीड़ित पक्षकार ↓ अनुबंध समाप्त, दोनों ↓ हर्जाने की माँग	पीड़ित पक्षकार ↓ हर्जाने की माँग
शर्तों का परिवर्तन Conversion of stipulation	शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान माना जा सकता है।	आश्वासन भंग को शर्त भंग के समान नहीं माना जा सकता
धारा	12(2)	12(3)
उदाहरण	from icai	from ICAI

Scanned with OKEN Scanner

4 Marks

PAGE NO.:
DATE: / /

Imp

कब शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान माना जाएगा धारा 13

1.) क्रेता शर्त के अनुपालन का परित्याग कर देता है।

2.) क्रेता शर्त भंग को आश्वासन भंग मानने का चुनाव करता है।

3.) अनुबंध विभाजन योग्य नहीं है और क्रेता ने माल को स्वीकार किया है।

4.) जब शर्त व आश्वासन को पूरा करना कानून द्वारा असम्भवता व अन्यथा के कारण क्षम्य है।

शर्त व आश्वासन
- स्पष्ट → अनुबन्ध के समय पक्षकारो द्वारा सहमत
- निहित / गर्भित → कानून द्वारा मान्यता
  - शर्ते (7)
  - आश्वासन (4)

गर्भित शर्ते → from ICAI

गर्भित आश्वासन → from ICAI

Very Important Practical & Theory

CAVEAT EMPTOOR
- → धारा 16
- → क्रेता सावधान रहो

यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह माल का सही चयन करे। यदि माल खराब निकलता है तो वह विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। यह क्रेता का दायित्व है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समान खरीद रहा है वह उद्देश्य को पूरा करेगी या नहीं। यदि वह स्वयं के हुनर या निर्णय पर निर्भर करता है व वस्तु दोषपूर्ण निकलती है तो वह विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

उदाहरण → ICAI

अपवाद! →

(i) उपयोग के अनुकूल! →

a.) क्रेता ने क्रय का उद्देश्य विक्रेता को बता दिया

b.) क्रेता ने विक्रेता के चातुर्य व निर्णय पर भरोसा किया।

c.) उस वर्णन का माल सप्लाई करने का विक्रेता का व्यवसाय हो।
तो विक्रेता जिम्मेदार होगा।

Case : Priest बनाम Last

(ii) पेटेण्ट व ब्राण्ड नाम के अन्तर्गत खरीदा गया माल →

तो माल की गुणवत्ता व उपयुक्तता की गर्भित शर्तें लागू नहीं होती। इस मामले में विक्रेता व

PAGE NO. :
DATE : / /

क्रेता दोनों जिम्मेदार नहीं होते।

वह कम्पनी जिम्मेदार होगी जिसका पेटेण्ट या ब्राण्ड नेम है।

(iii) जब विक्रेता दोषों को छिपाता है → विक्रेता झूठ प्रतिनिधित्व व कपट करता है तो विक्रेता जिम्मेदार होगा।

(iv) वस्तु वर्णन द्वारा बेची जाती है।

(v) वस्तु की विक्रय योग्यता

(vi) नमूने द्वारा बिक्री

(vii) नमूने एवं वर्णन द्वारा बिक्री

(viii) व्यापार में चल रही प्रथा →

माल की गुणवत्ता व उपयुक्तता की गर्भित शर्त व्यापार में चल रही प्रथा द्वारा तय की जाती है।

सामान्यतः लागू नहीं होती।
↓
यदि विक्रेता इसमें चूक करें
↓
क्रेता सावधान रहे का
सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

PAGE NO. :
DATE : / /

(imp)

★★★ UNIT 3: स्वामित्व हस्तांतरण एवं माल की सुपुर्दगी

माल	स्वामित्व का हस्तांतरण
(A) विशिष्ट या निर्दिष्ट माल	जब ऐसी मंशा हो (जब पक्षकारों की इच्छा / भावना हो)
1.) विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हो, व शर्तहीन अनुबन्ध हो।	तुरन्त अनुबन्ध के समय अंतरित किया जाना चाहिए।
2.) विशिष्ट माल, जिसे सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखा जाना है – Packing, Polishing, Grading	a.) जब सुपुर्दगी योग्य स्थिति में आ जाये। b.) क्रेता को सूचित करो
3.) विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है किन्तु विक्रेता द्वारा मूल्य का निर्धारण करने के लिए कुछ कार्य शेष है – तौलना, मापना, जाँच करना	(a.) जब वह कार्य पूरा कर लिया जाए (b) क्रेता को सूचित करो।
(B) अनिर्दिष्ट माल धारा - 23	जब माल का निर्धारण कर लिया जाये
1.) विवेचन द्वारा विक्रय	जब माल को शर्तरहित विनियोजन किया जाता है। क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन

Practical & New Book Mr.

Short Note

2. वाहक को सुपुर्दगी	जैसे ही माल क्रेता को प्रेषण के इरादे से वाहक को सुपुर्द किया जाता है बशर्ते विक्रेता ने माल के निपटान का अधिकार आरक्षित नहीं किया हो।
v.v. Imp (C) वस्तुओं को स्वीकृति हेतु भेजना अथवा विक्रय अथवा वापसी धारा-24	
1) क्रेता द्वारा स्वीकृति की सूचना विक्रेता को दी जाती है	जब क्रेता को सूचित करें
2) क्रेता अपनी स्वीकृति विक्रेता को नहीं देता परन्तु माल को रोक लेता है बिना अस्वीकृति सूचना दिये	(a) निर्धारित समय अवधि बीत जाने पर (b) उचित समय बीत जाने पर
3) क्रेता माल के साथ कुछ ऐसा करता है जो स्वीकृति के समतुल्य हो	जब वह कार्य किया जाये (विक्रय या गिरवी)
Eg. विक्रय या गिरवी या सौदे को ग्रहण कर लेता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो विक्रेता के अधिकारों के असंगत हो।	

PAGE NO.:
DATE: / /

(i) माल के निपटान का अधिकार हो। धारा 25	जब शर्तें पूरी हो जायें।

जोखिम स्वामित्व का अनुसरण करती है धारा -26

सामान्य नियम : जिसका स्वामित्व उसका जोखिम

अपवाद :-

1.) जिस पक्षकार की गलती के कारण देरी होगी वह जोखिम उठाएगा। चाहे स्वामित्व किसी का भी क्यू न हो।

2.) क्रेता व विक्रेता के अधिकार व दायित्व निक्षेपक के रूप में प्रभावरहित रहते है। जहां स्थिति निक्षेप की है वहां निक्षेपी जोखिम उठाएगा
उदाहरण - किराया क्रय

स्वामित्व के अधिकार का हस्तान्तरण धारा 27-30

V. Imp

Nemo dat quod non habet

कोई भी उससे अन्य अधिकार हस्तान्तरित नहीं कर सकता। जितना उसके स्वंय के पास हों।

सिर्फ स्वामी ही अपनी वस्तुओं का अन्तरण कर सकता है अन्य कोई नहीं

eg. किराया क्रय -चोरी का माल

अपवाद : → (गैर स्वामी द्वारा विक्रय विक्रेयी वैध होगा)

DATE: / /

(2.) सहस्वामी में से किसी एक के द्वारा विक्रय :→

धारा → 28

(a) सहस्वामी
(b.) अन्य सहस्वामियों की सहमति से माल पर अधिकार व कब्जा
(c) सद्भावना में क्रेता

(1.) व्यापारिक एजेण्ट द्वारा विक्रय :→

(a) व्यापारिक एजेण्ट
(b.) स्वामी की सहमति से माल पर अधिकार व कब्जा
(c.) सद्भावना / सद्विश्वास में क्रेता

(3.) व्यापारिक अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय →

(a) व्यथिनीय अनुबंध के अन्तर्गत माल पर अधिकार व कब्जा
b) अनुबन्ध अभी तक रद्द नहीं किया गया है।
c) सद्भावना में क्रेता

(4.) ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय जो पहले ही माल बेच चुका है परन्तु अभी उसी के पास है! →

विक्रेता के पास - अधिकार व कब्जा
स्वामित्व क्रेता का

↓

सद्विश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार हस्तान्तरित होगा।

(5.) माल के स्वामित्व अन्तरित होने से पहले कब्जा धारी क्रेता द्वारा विक्रय :→

क्रेता के पास → अधिकार व कब्जा

स्वामित्व - विक्रेता का

Scanned with OKEN Scanner

सद्‌विश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार प्राप्त होगा।

6. **गत्यावरोध का प्रभाव !** → मालिक को बेचने के विक्रेता के अधिकार की मनाही से अन्यत्र द्वारा रोका जाता है।

सद्‌विश्वास में क्रेता को अच्छा अधिकार प्राप्त होगा।

7. **अक्षत विक्रेता द्वारा विक्रय !** → अक्षत विक्रेता

प्रयोग → पूर्वाधिकार व माल की रास्ते में रोकने को अधिकार → कब्जा प्राप्त कर लेता है।

पुनः विक्रय का अधिकार

सद्‌विश्वास में क्रेता को अच्छा स्वामित्व प्राप्त होगा।

8. **अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत विक्रय :** →

a) राजकीय प्रापक या समापक द्वारा विक्रय

b) माल को ढूंढने वाले व्यक्ति विक्रय है।

c) गिरवी ग्रहिता द्वारा विक्रय →

सद्‌भावना में क्रेता द्वारा अच्छा अधिकार प्राप्त होगा।

* माल की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में नियम :- from sheet

* **माल की सुपुर्दगी की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम**

धारा – 42 → from ICAI

धारा 42 – 44

PAGE NO. :
DATE : / /

Unit-4 अदत्त विक्रेता / अवैतनिक विक्रेता

परिभाषा → धारा 45 : अदत्त विक्रेता वह है जिसे -

(a) सम्पूर्ण मूल्य नहीं चुकाया गया है या टेण्डर नहीं किया गया हो।

(b) विनिमय पत्र या अन्य बेचान साध्य प्रपत्र सशर्त भुगतान के रूप में दिया गया था और वह अनादरित या अप्रतिष्ठित हो गया हो।

अदत्त विक्रेता के अधिकार :-

imp (A) ग्रहणाधिकार धारा 47-49

→ विक्रेता के पास माल का कब्जा / अधिकार होना चाहिए। इसे कब्जा कायम रखना का अधिकार भी कहते हैं।

शर्तें :- (a) उधारी की प्रत्याशा के बिना माल को बेचा जाता है।

(b) माल उधारी पर बेचा जाता है परन्तु उधारी की समय सीमा बीत चुकी है।

(c) क्रेता दिवालिया हो भी सकता है अथवा नहीं।

ग्रहणाधिकार समाप्ति

a) माल वाहक या निक्षेपगृहिता को सुपुर्द कर दिया जाता है।

b) जब क्रेता या एजेन्ट माल पर पर कब्जा प्राप्त कर ले।

c) परित्याग द्वारा

d) त्यजन द्वारा / गत्यावरोध

PAGE NO.:
DATE: / /

अपवाद: अदत्त विक्रेता का ग्रहणाधिकार तब भी समाप्त नहीं होता जब उसने माल के मूल्य के लिए Degree प्राप्त कर ली है।

Note:→ सम्पति क्रेता को हस्तान्तरित हुई हो अथवा नहीं दोनों परिस्थितियों में ही अदत्त विक्रेता को ग्रहणाधिकार प्राप्त होगा।

मार्गस्थ माल को रोकने का अधिकार धारा 50-52

परागमन

माल विक्रेता के अधिकार / कब्जे से जा चुका है।
↓
माल रास्ते में है।
↓
क्रेता का दिवालिया होना अनिवार्य है।
↓
कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार भी कहते हैं।

विक्रेता स्वयं अथवा वाहक को सूचना देकर रास्ते से ही माल को वापस मँगा सकता है।

शर्तें:→

1. विक्रेता अदत्त विक्रेता हो।
2. उसने माल पर कब्जा छोड़ दिया हो
3. माल मार्ग में होना चाहिए।
4. क्रेता दिवालिया होना अनिवार्य है।
5. यह अधिकार अधिनियम के अधिकारों के अन्तर्गत हो।

PAGE NO. :
DATE : / /

(:) क्रेता का ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। ⇒

(1) क्रेता या निक्षेप ग्रहिता सुपुर्दगी प्राप्त करले।
(2) वाहक या अन्य निक्षेप ग्रहिता क्रेता के समक्ष स्वीकार कर लेता है कि वह उसके लिए माल को धारण करता है।
(3) वाहक गलती से क्रेता को माल सुपुर्द करने से मना करता है।
(4) वाहक क्रेता द्वारा रखा गया है व उसे माल सुपुर्द कर दिया है।
(5) माल क्रेता द्वारा चार्टर्ड शिप को सुपुर्द कर दिया जाता है।
(6) माल की आंशिक सुपुर्दगी क्रेता को की जा चुकी है तो शेष माल के लिए जो अभी प्रवाह में है मार्गस्थ समाप्त मान लिया जाएगा।

(:) क्रेता द्वारा उपविक्रय का स्टोप का प्रभाव ⇒ धारा -53

क्रेता → उपविक्रय करता है / माल का → बंधन तो अदत्त विक्रेता के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता { (1) ग्रहणाधिकार, (2) माल को रास्ते में रोकने का अधिकार }

अपवाद :→ (1.) जब विक्रेता ने विक्रय, संबंध बंधक या क्रेता द्वारा माल के अन्य निपटान की सहमति दी हो।
(2.) जब स्वामित्व के प्रपत्र क्रेता को हस्तान्तरित हो।

गये हो और क्रेता ने उसे सद्भावना में क्रेता को हस्तांतरित कर दिया हो।

पुन: विक्रय का अधिकार : धारा -54

1 जब माल नाशवान प्रकृति का होता है: विक्रेता बिना सूचना के माल का विक्रय कर सकता है।

(2) जहाँ उसने माल के पुन: विक्रय हेतु अपनी भावना की क्रेता को जानकारी दी है:

यदि माल नाशवान नहीं है तो विक्रेता द्वारा का कर्तव्य है कि पुन: विक्रेता की सूचना क्रेता को दे

पुन: विक्रय का प्रभाव

- सूचना दी है।
  - लाभ → विक्रेता
  - हानि → क्रेता
- सूचना नहीं दी गई है।
  - लाभ → क्रेता
  - हानि → विक्रेता

DATE : / /

(3) अदत्त विक्रेता ग्रहणाधिकार पूर्व माल को रास्ते में रोकने के अधिकार को लागू कर चुका है फिर पुनः विक्रय करता है।

↓

सद्भावना में क्रेता को अच्छा अधिकार प्राप्त होगा।

(4) विक्रेता ने पुनः विक्रय का अधिकार स्पष्ट : आरक्षित किया हो।

↓

विक्रेता को पुनः सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

(5) जहाँ माल में स्वामित्व क्रेता को हस्तान्तरित नहीं हुआ हो।

↓

अदत्त विक्रेता को माल की सुपुर्दगी रोकने का अधिकार होगा।

↓

गर्भित अधिकार (Quasi Lien)
महिला

क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार :-

practical
15 दिन
सप्ताह

- मूल्य हेतु वाद
- अस्वीकृति के लिए हानि हेतु वाद
- देय तिथि से पूर्व अनुबन्ध का विखण्डन
- ब्याज के लिए वाद

विक्रेता द्वारा अनुबंध भंग होना :→

सुपुर्दगी ना देने के लिए हर्जाना
विशिष्ट निष्पत्ति के लिए वाद
आश्वासन भंग के लिए वाद
सम्भावित भंग के लिए वाद
ब्याज के लिए वाद

5 marks नीलामी विक्रय धारा : 64 :→ सार्वजनिक तौर पर वस्तु बेचने का तरीका है।
→ सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को वस्तु बेच दी जाती है।

IMP

- नीलामीकर्ता विक्रेता का एजेण्ट होता है।

नीलामी विक्रय के नियम :→

① जहाँ माल ढेरियों में विक्रय हो → प्रत्येक ढेर पृथक विक्रय का अनुबंध बतायेगा।

② विक्रय का समाधान :→ हथौड़ा मारकर या अन्य किसी रीति द्वारा

③ जहाँ विक्रेता द्वारा विक्रय के बारे में ना बताया गया हो :→

यदि नीलामी का अधिकार सुरक्षित नहीं किया गया हो और फिर भी

विक्रय वैध नहीं होगा।
- विक्रेता बोली लगाता है।
- किसी व्यक्ति को बोली लगाने के नियुक्त करता है
- नीलामी कर्ता जानबूझकर ऐसी बोली को स्वीकार करता है।

कपटपूर्ण माना जाएगा।

PAGE NO. :
DATE : / /

(5) **सुरक्षित राशि :-** विक्रय को किसी सुरक्षित या परिव्यक्ति राशि के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है।

→ वह न्यूनतम मूल्य जिसके नीचे नीलामी द्वारा विक्रय वैध नहीं होता।

(6.) **दिखावटी या बनावटी बोली बनाना / बोली का बढाना :**

↓

क्रेता के विकल्प पर व्यपनीय

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

Chapter-3 भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932

Unit-4 साझेदारी की सामान्य प्रकृति

परिभाषा ⇒ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध से है। जो समझौते द्वारा उत्पन्न होता है साझेदारी कुछ व्यवसाय चलाने के लिए संगठित की जाती है, जिसके लाभ को परस्पर बाँटने का समझौता किया जाता है जो सभी के द्वारा या सभी के लिए किसी एक के द्वारा चलाया जाता है।

साझेदारी के तत्व :→

1. दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ :→
   प्राकृतिक व्यक्ति + कानूनी व्यक्ति
2. समझौता :→ साझेदारी ठहराव द्वारा उत्पन्न होती है
   ↓
   मौखिक या लिखित — स्पष्ट या गर्भित
3. व्यापार :→ इसमें व्यापार, धन्धा व पेशा तीनों शामिल है।
   (a) व्यवसाय का अस्तित्व
   (b) लाभों की अविभाप्ति
4. लाभों को बाँटने का ठहराव :→
   लाभ का बँटवारा → लाभ हानि अनुपात

Scanned with OKEN Scanner

DATE: / /

समझौते की अनुपस्थिति में → बराबर

हानि बँटवारा किसी विपरीत प्रावधान की अनुपस्थिति में → लाभ के अनुपात में

यह साझेदारी का प्रथम इष्ट या साध्य है निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है।

निम्नलिखित में लाभ का बँटवारा है परन्तु साझेदारी नहीं है →

(1) ख्याति का विक्रेता जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।

(2) कर्मचारी अथवा एजेण्ट

(3) मृत साझेदार के विधवा बच्चे

(4) ऋणदाता या लेनदार जो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने को सहमत होता है।

Imp (5) व्यापार सभी के द्वारा या सभी के लिए किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता जाना चाहिए। (आपसी एजेन्सी)

Nov/23

- प्रत्येक साझेदार प्रधान भी है। और एजेण्ट भी।
- पारस्परिक एजेन्सी → एक सब के लिए सब एक के लिए।

- साझेदार का मूलभूत सिद्धान्त है सही जाँच है व निश्चयात्मक प्रमाण है।

साझेदारी का सच्चा परीक्षण :→ धारा 6 ★★★★ V.Imp Marks

साझेदारों के मध्य वास्तविक सम्बन्ध पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- समझौता / ठहराव
- लाभ का विभाजन
- पारस्परिक एजेन्सी

Differences from ICAI →
- साझेदारी - कम्पनी
- साझेदारी - HUF
- साझेदारी - सहस्वामित्व
- साझेदारी - क्लब
- साझेदारी - संघ

साझेदारी के प्रकार

- **अवधि के सम्बन्ध**
  - ऐच्छिक साझेदारी (imp) → समय अवधि निर्धारित नहीं होती।
  - निश्चित समय अवधि के लिए साझेदारी → समय अवधि निर्धारित होती है।
- **व्यवसाय के सम्बन्ध में**
  - विशेष साझेदारी → विशिष्ट कार्य उद्देश्य या उपक्रम के लिए
  - सामान्य साझेदारी → सामान्य व्यवसाय के सम्बन्ध

PAGE NO.:
DATE: / /

- सूचना देकर कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- साझेदारी व्यवसाय के निर्धारण के प्रति कोई प्रावधान ही नहीं होता है।

यदि समयावधि समाप्त होने के बाद भी साझेदारी जारी रखी जाती है।
↓
प्रभाव ऐच्छिक साझेदारी के समान होगा।

साझेदारो के प्रकार

- सक्रिय / दृश्य
- सुप्त / निष्क्रिय
- नाममात्र का साझेदार
- केवल लाभ में साझेदार
- आगन्तुक साझेदार
- बाहर जा रहा साझेदार
- गत्यावरोध द्वारा साझेदार

(Diff)

गत्यावरोध द्वारा साझेदार (धारा 28) ⇒ 29, 30 Important

Important

जब एक व्यक्ति अपने शब्दो या आचरण द्वारा जानबूझकर

- (शब्दो) स्वंय को साझेदार के रूप में प्रदर्शित करता है।
- (आचरण) स्वंय को साझेदार प्रदर्शित करने की आज्ञा देता है।

जब कि वास्तव में साझेदार नहीं है।
↓
तब वह उन लोगो के प्रति जिम्मेदार माना जायेगा, जो उसकी बात पर विश्वास करके फर्म में राशि निवेश कर देते है।

साझेदारी संलेख: from ICAI

Unit-3 फर्म का पंजीकरण एवं समापन

पंजीकरण : → • फर्म का पंजीकरण स्वैच्छिक / वैकल्पिक है।

- फर्म का पंजीकरण जीवनकाल में कभी भी कराया जा सकता है।
- पंजीकरण वांछनीय है। क्योंकि वाद प्रस्तुत करने की क्षमता पंजीकरण के बाद ही आती है।

प्रक्रिया

साझेदार —आवेदन विवरण→ फर्म का रजिस्ट्रार

- → विद्यमान फर्म के नाम से मिलता-जुलता
- → राजा, रानी, सम्राट, ताज, महाराजा, शाही आदि

विवरण:
- फर्म का नाम
- व्यवसाय का स्थान
- शाखा
- साझेदारों का विवरण
- समय अवधि
- शुल्क

संतुष्ट होने पर:
- ↓ फर्म के रजिस्टर में प्रविष्टि
- ↓ पंजीकरण का प्रमाण पत्र

Imp. पंजीकरण नहीं कराने के परिणाम धारा = 69 (4 Marks)

ICAI

- → तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वाद नहीं
- → 100₹ से ऊपर की कटौती / सेट ऑफ / मुजराई के लिए साझेदारों को विमुक्ति नहीं।
- → साझेदार फर्म व अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते।

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO. :
DATE : / /

→ तृतीय पक्षकार फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।

अपवाद :→ 1) तृतीय पक्षकार का फर्म पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार।

2) समापन के समय वाद प्रस्तुत करने का साझेदार का अधिकार → समापन के लिए
↳ खातों के विवरण के लिए

3) दिवालिये की स्थिति में राजकीय प्रापक (official Receiver (Assignee) की वाद प्रस्तुत करने की ~~त्रुटियाँ~~ शक्तियाँ।

4) 100₹ तक की राशि का सेट ऑफ / कटौती / प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार।

Example → from ICAI

समापन धारा 39

सभी साझेदारों के मध्य विद्यमान वैधानिक सम्बन्धों की समाप्ति पर फर्म का समापन हो जाता है।

फर्म के समापन व साझेदारी के समापन में अंतर :-
↓
from ICAI

PAGE NO.:
DATE: / /

फर्म के समापन की विधियाँ   धारा 44

(न्यायालय के आदेश के बिना)

- पारस्परिक ठहराव धारा (40)
- अनिवार्य समापन (41)
- किसी घटना के घटने पर (42)
- नोटिस द्वारा (43)

(न्यायालय के आदेश से)

- पागलपन
- स्थायी अक्षमता
- दुराचरण
- ठहराव का निरंतर उल्लंघन
- हित का अंतरण
- निरंतर हानियाँ
- कोई अन्य न्यायिक तथा साम्य आधार

~~विघटन का परिणाम~~
समापन का प्रभाव :→ परिणाम

1.) सार्वजनिक सूचना जारी होने तक चालू दायित्व। धारा → 45

2.) समापन के पश्चात व्यवसाय को समाप्त करने का साझेदारी को अधिकार (धारा 46)

प्रत्येक साझेदार के पास अधिकार है।

यह कह सकता है।

- फर्म की सम्पत्ति से फर्म के ऋणों का भुगतान
- आधिक्य साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बाँटना

3) समापन के उद्देश्य हेतु साझेदारी के चालू दायित्व धारा 47

- फर्म के कार्यों की समाप्ति के लिए आवश्यक
- अधूरे कार्यों या बकाया सौदों को पूरा करना

Scanned with OKEN Scanner

PAGE NO.:
DATE: / /

4) साझेदारी के हिसाब किताब का निपटारा करना धारा→48

लाभ

- तृतीय पक्षकारों को देय राशि का भुगतान
- अग्रिम राशि का भुगतान
- पूँजी का भुगतान
- शेष यदि हो तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में बाँटा जाएगा।

हानि

- पिछले वर्षों के लाभ से
- साझेदारी की पूँजी से
- यदि कम है तो साझेदारों द्वारा लाभ - हानि अनुपात में लाई जायेगी।

5) फर्म के ऋणों तथा पृथक ऋणों का भुगतान :→ धारा 49

(1) फर्म के ऋणों का भुगतान सर्वप्रथम फर्म की सम्पत्ति से किया जायेगा।

यदि आधिक्य हो तो साझेदारों के मध्य लाभ अनुपात में बाँट दिया जायेगा। जिससे वह अपने पृथक ऋणों का भुगतान कर सकते हैं।

(2) साझेदार की सम्पत्ति से पहले उनके पृथक ऋणों का भुगतान होगा।

यदि आधिक्य हो तो फर्म के ऋणों के भुगतान में प्रयोग किया जायेगा।